पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–19] रुड़की, शनिवार, दिनांक 14 जुलाई, 2018 ई0 (आषाढ़ 23, 1940 शक सम्वत्) [संख्या–28

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	401–420	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	493–496	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	149–153	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

(झ) **'परीक्षार्थी'** से अर्ह विद्यार्थी अभिप्रेत है;

(ञ) **'परीक्षा हॉल'** से परीक्षा कक्ष/हॉल जहाँ पर विश्वविद्यालय की परीक्षायें संचालित हो रही हों, अभिप्रेत है;

(ट) **'परीक्षा प्रकोष्ठ'** से विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा संचालन से संबंधित मुद्दों का निपटारा किये जाने के लिए गठित विभाग अभिप्रेत है;

(ठ) **"प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति"** से तात्पर्य उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा 4 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित समिति अभिप्रेत है;

(ड) **"नियामक संस्था"** से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए0आई0सी0टी0ई0), भारतीय चिकित्सा परिषद् (एम0सी0आई), भारतीय बार परिषद् (बी0सी0आई0), भारतीय भेषजी परिषद् (पी0सी0आई0), भारतीय दंत परिषद् (डी0सी0आई0), केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद् (सी0सी0आई0एम0), राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (एन0सी0टी0ई0) इत्यादि, जो भी लागू हो अभिप्रेत है।

(2) एकवचन द्योतक शब्दो के अन्तर्गत बहुवचन एवं बहुवचन द्योतक शब्दों के अन्तर्गत एकवचन आयेगा।

(3) पुल्लिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किया गया है, वे हर व्यक्ति के बारे में लागू है चाहे वह किसी भी लिंग का व्यक्ति हो।

(4) नियमावली मे प्रयुक्त शब्द व अभिव्यक्ति जो कि परिभाषित नहीं हो, किन्तु अधिनियम/परिनियमावली में परिभाषित है, के वही अर्थ होंगे जो कि अधिनियम/परिनियमावली में है।

विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश, उनका नामांकन और इस रूप में बने रहना; (धारा 30 (क))

3. (1) नियामक संस्था द्वारा निर्धारित नियमों/विनियमों तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों के अधीन रहते हुए तथा विश्वविद्यालय के अधिनियमों एवं परिनियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत ही विद्यार्थी को प्रवेश दिया जायेगा।

(2) प्रत्येक विद्यार्थी को पाठ्यक्रमवार पंजीकरण संख्या दी जायेगी। विद्यार्थी के पाठ्यक्रम परिवर्तन करने की दशा मे पंजीकरण संख्या स्वतः ही परिवर्तित हो जायेगी। यह पंजीकरण संख्या विद्यार्थी की अनुक्रमांक संख्या होगी। इस संख्या हेतु विश्वविद्यालय द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(3) ऐसे पंजीकृत विद्यार्थी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होने या पाठ्यक्रम छोड़ने तक विश्वविद्यालय में पंजीकृत रहेगें या जैसा कि इस सम्बन्ध में दिये गये अध्यादेश द्वारा विनिर्दिष्ट है।

राज्यपाल, श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय अधिनियम 2016(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 3 वर्ष; 2017) की धारा 30 संपठित धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित नियमावली बनाये जाने के लिये अनुमोदन प्रदान करते हैं:–

श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय नियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय नियमावली, 2018 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

(3) प्रथम नियम के लागू होने के बाद, सभी संशोधन, परिवर्धन एवं वर्तमान नियमों को निरस्त करने का प्रस्ताव विश्वविद्यालय के व्यवस्थापक मण्डल द्वारा उत्तराखण्ड शासन के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। शासन के अनुमोदनोपरांत ही ऐसा प्रस्ताव लागू होगा।

परिभाषायें

2. (1) जबकि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में :–

(क) **'अधिनियम'** से श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 अभिप्रेत है;

(ख) **'धारा'** से श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 की धारा अभिप्रेत है;

(ग) **'परिनियमावली'** से श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत बनायी गई परिनियमावली अभिप्रेत है;

(घ) **'पंजीकरण संख्या'** से सम्बद्ध कॉलेज द्वारा पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को दी गयी संख्या अभिप्रेत है;

(ङ) **'नामांकन'** से छात्र–छात्राओं का विश्वविद्यालय में नामांकन किया जाना अभिप्रेत है;

(च) **'नामांकन** संख्या' से पहचान हेतु विश्वविद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों को दी गई क्रमांक संख्या अभिप्रेत है;

(छ) **'परीक्षा केन्द्र'** से कॉलेज अथवा विभाग, जहाँ पर विश्वविद्यालय की परीक्षा संचालित होगी, अभिप्रेत है;

(ज) **'केन्द्र प्रभारी'** से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी देख–रेख में परीक्षा केन्द्र के माध्यम से परीक्षाओं का संचालन होगा;

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

उच्च शिक्षा अनुभाग–3

अधिसूचना

06 जून, 2018 ई0

संख्या 314/XXIV(3)/2018–13(15)2018–श्री राज्यपाल महोदय, श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 3, वर्ष 2017) की धारा–30 संपठित धारा–31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय के व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनाये गये "श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय नियमावली, 2018" (हिन्दी/अंग्रेजी) को उपान्तर के साथ अनुमोदन प्रदान किया जाता है:–

श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय

नियमावली, 2018

अनुक्रमणिका

नियम	विवरण
1.	संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ
2.	परिभाषायें
3.	विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश, उनका नामांकन और इस रूप में बने रहना; (धारा 30 (क))
4.	विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किए जाने वाले पाठ्यक्रम; (धारा 30 (ख))
5.	अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, पदक तथा पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें; (धारा 30 (घ))
6.	परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा लेने वाली निकायों, परीक्षकों, अंतरीक्षकों, सारणीकारों तथा अनुसीमकों (माडरेटरों) की नियुक्ति की शर्तें व रीति तथा उनके कर्तव्य; (धारा 30 (ङ))
7.	विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से लिया जाने वाला शुल्क; (धारा 30 (च))
8.	विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क; (धारा 30 (छ))
9.	विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में छात्रों के निवास की शर्तें; (धारा 30 (ज))

(4) प्रत्येक पंजीकृत विद्यार्थी को प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क अदा करने पर नामांकन संख्या दी जायेगी।

(5) नये विद्यार्थियों को पूर्व विश्वविद्यालय का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (Migration Certificate) प्रस्तुत करना होगा।

(6) पूर्व में पंजीकृत विद्यार्थी, जिनका अन्य किसी विश्वविद्यालय में स्थानान्तरण (Migrate) न हुआ हो, को पुनः नामाकंन कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

(7) विश्वविद्यालय में दाखिल/नामांकित छात्र स्थानान्तरण प्रमाण पत्र मिलने तक विश्वविद्यालय का विद्यार्थी बना रहेगा।

विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किए जाने वाले पाठ्यक्रम; (धारा 30 (ख))

4. (1) पाठ्यक्रम संरचना, अध्ययन विषय, मूल्यांकन पद्धति आदि हेतु गठित पाठ्यक्रम नियामक संस्था के दिशा–निर्देशों के अनुरूप समिति द्वारा तैयार किया जायेगा।

(2) संबंधित संकाय द्वारा पाठ्यक्रम समिति की अनुशंसा पर विचार–विमर्श के उपरान्त अपनी संस्तुति के साथ संबंधित संकाय विश्वविद्यालय अकादमिक परिषद् को प्रेषित करेगा।

(3) विश्वविद्यालय के सभी कार्यक्रमों के लिये पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन पद्धति एवं अन्य अकादमिक विशिष्टताएं अकादमिक परिषद् द्वारा अनुमोदित होंगी।

(4) नियामक संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों के सिवाय किसी अन्य पाठ्यक्रम को लागू करने से पूर्व संबंधित नियामक संस्था का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, पदक तथा पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें; (धारा 30 (घ))

5. अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, पदक, तथा पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें व पात्रता विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकृत एवं निर्धारित अध्यादेश के अनुरुप प्रदान की जायेगी।

परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा लेने वाली निकायों, परीक्षकों, अंतरीक्षकों, सारणी कारों तथा अनुसीमकों (मॉडरेटरों) की नियुक्ति की शर्तें व रीति तथा उनके कर्तव्य; (धारा 30 (ङ))

6. (1) परीक्षा का संचालनः

(क) विश्वविद्यालय की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नामित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी।

(ख) प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर प्रदत्त की जाने वाली आवश्यक सुविधाओं का निर्धारण विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति एवं आकादमिक परिषद् द्वारा किया जायेगा।

(ग) विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रमों के लिये परीक्षाओं का संचालन, सम्बन्धित सांविधिक परिषदों द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा–निर्देशों एवं अध्यादेशो/सम्बन्धित प्रविधानों के अनुसार होगा।

(घ) विश्वविद्यालय की परीक्षायें सम्बन्धित अध्यादेश के अनुसार होंगी।

(ङ) विश्वविद्यालय परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि से 30 दिन पूर्व विषयवार परीक्षा कार्यक्रम तैयार एवं प्रकाशित करेगा।

(च) परीक्षाओं के सुचारु संचालन हेतु विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा केन्द्र अधीक्षक एवं उप केन्द्र अधीक्षक नियुक्त किये जायेंगे।

(छ) विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति एवं केन्द्र अधीक्षक, केन्द्र पर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को सुचारु रुप से संचालित करने हेतु उत्तरदायी होंगे। परीक्षाओं में हुये समस्त खर्चों को नियमानुसार विश्वविद्यालय वहन करेगा।

(ज) परीक्षाओं के आयोजन हेतु परीक्षा मे बैठने सम्बधी व्यवस्था और कक्ष निरीक्षकों की डयूटी की तैयारी व कार्यान्वयन का दायित्व केन्द्र अधीक्षक का होगा।

(झ) केन्द्र अधीक्षक को अन्तिम परीक्षा से एक माह की समयावधि के दौरान निर्धारित प्रारूप मे सभी परीक्षा व्ययों का विवरण देना होगा।

(ञ) केन्द्र अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षार्थियों, कक्ष–निरीक्षकों/ फ्लाईंग स्क्वाड एवं विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र में प्रवेश न कर सके।

(ट) सभी परीक्षार्थियों को समय–समय पर दिए गये अनुदेशों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।

(ठ) परीक्षा प्रकोष्ठ प्रत्येक केन्द्र पर समय पर पर्याप्त मात्रा में प्रश्न–पत्र (मुहरबन्द पैकेट में) एवं उत्तर–पुस्तिकाओं की आपूर्ति करेगा।

(ड) केन्द्र अधीक्षक निर्धारित समय के अन्दर सभी अप्रयुक्त प्रश्न–पत्र एवं उत्तर–पुस्तिकाएँ परीक्षा प्रकाष्ठ को वापस करेगा।

(ढ) प्रायोगिक परीक्षा को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु संघटक कॉलेज के प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष सभी आवश्यक प्रबन्ध करेंगे।

(ण) परीक्षा प्रारम्भ होने से 15 मिनट पूर्व सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल में उपस्थित होना होगा। परीक्षा प्रारम्भ होने के 30 मिनट बाद प्रवेश वर्जित होगा। परीक्षा के लिए कुल निर्धारित समय के आधे समय से पहले कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़ सकेगा।

(त) उड़न दस्ता (Flying Squad):

(एक) मानकों के अनुसार परीक्षा संचालित कराने हेतु कम से कम 03 सदस्यीय उड़न दस्ता का गठन किया जाएगा, जिसमें 01 महिला सदस्य का होना अनिवार्य है।

(दो) दस्ता बिना किसी पूर्व सूचना के परीक्षा हॉल में प्रवेश करने हेतु अधिकृत होगा तथा केन्द्र अधीक्षक के कार्यालय में परीक्षा प्रपत्रों, दस्तावेजों व अन्य सामग्री का निरीक्षण कर सकेगा व परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी की पहचान की सत्यता की जाँच कर सकेगा। उड़न दस्ता अनाचार, अनुचित साधन का पता लगाने हेतु शारीरिक जाँच–पड़ताल करने हेतु प्राधिकृत होगा। महिला परीक्षार्थी की जाँच केवल महिला सदस्य द्वारा ही की जा सकेगी।

(तीन) केन्द्र अधीक्षक उड़न दस्ते को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

(थ) केन्द्र अधीक्षक प्रतिदिन परीक्षा समाप्त होने के तुरन्त बाद उत्तर–पुस्तिकाए विश्वविद्यालय प्रकोष्ठ को भेजेगा।

(द) परीक्षा प्रकोष्ठ, परीक्षा की समाप्ति पर अथवा उससे पहले उत्तरपुस्तिकाओं की प्राप्ति के पश्चात् केन्द्रीय मूल्यांकन का कार्य सुनिश्चित करेगा।

(ध) परीक्षाफल को निर्धारित प्रारूप में सारणीकार/मूल्यांकन कर्ता द्वारा सारणीबद्ध व तैयार किया जाएगा।

(न) सारणीकार द्वारा सारणीबद्ध परीक्षाफल का मिलान व सत्यापन एवं अनुमोदन परीक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। अंकतालिका की अनुमोदित प्रति एवं सॉफ्ट कॉपी परीक्षा परिणाम तैयार करने हेतु परीक्षा प्रकोष्ठ को भेजी जायेगी।

(प) सामान्य परिस्थिति में अन्तिम प्रश्न–पत्र होने के 30 दिनों के भीतर विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाफल घोषित कर दिया जाएगा तथा अंकतालिकाओं के साथ सम्बद्ध कॉलेजों को प्रेषित कर दिया जायेगा।

(2) परीक्षा समितियों, कक्ष निरीक्षकों एवं अनुसीमकों, माडरेटर की नियुक्ति के तरीके, सेवा शर्तें एवं कर्तव्यः–

(क) पेपर सेटर, मूल्याकंन–कर्ता एवं परीक्षक की योग्यता एवं अनुभव सम्बन्धित सांविधिक परिषद् अथवा इस सम्बन्ध में बनाये गये अध्यादेश के दिशा निर्देशानुसार होंगे।

(ख) पेपर सेटर, अनुसीमको, माडरेटर, आन्तरिक एवं बाहय परीक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालयों के पैनल से होगी। पेपर सेटर व निरीक्षक की

अनुपलब्धता की दशा में पैनल में सूचीबद्ध अन्य कोई व्यक्ति ही नियुक्त हो सकेगा।

(ग) विश्वविद्यालय परीक्षा प्रकोष्ठ, प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए, पेपर सेटर, आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षकों का पैनल बनायेगा।

(घ) पेपर सेटर, अनुसीमकों, माडरेटर एवं परीक्षक अथवा परीक्षा से सम्बन्धित अन्य कार्य हेतु नियुक्त विश्वविद्यालय का कोई भी कर्मचारी इसका अधिकार के रूप में दावा नहीं करेगा।

(ङ) साधारण परिस्थितियों में किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति पेपर सेटर, अनुसीमकों (माडरेटर), परीक्षक, निरीक्षक, टेबुलेटर तथा परीक्षा से सम्बन्धित अन्य कार्य के रूप में अनिवार्य होंगी। इस कार्य हेतु अनुपलब्धता की दशा में अग्रिम रूप से परीक्षा प्रकोष्ठ को सूचित करना आवश्यक होगा, ताकि समय पर वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके।

(च) पेपर सेटर, अनुसीमकों (माडरेटर), परीक्षक, विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर इस सम्बन्ध में प्रश्न–पत्रों की संरचना, मॉडल उत्तर, अंकन की योजना आदि के विषय में दिये गये निर्देशों का पालन करेंगे।

(छ) परीक्षा प्रकोष्ठ परीक्षा से सम्बन्धित उपयुक्त दिशा–निर्देश, पेपर सेटर, अनुसीमकों (माडरेटर) एवं परीक्षकों को सूचित करेगा।

(ज) प्रश्न पत्र अंग्रेजी में सेट होंगे।

(झ) पेपर सेटर निर्धारित समय पर प्रश्न पत्र एवं निर्धारित प्रतियों को लिफाफे में सील कर पुनः दूसरे लिफाफे में सील करने के उपरान्त परीक्षा प्रकोष्ठ को प्रेषित करेगा। पेपर सेटर को प्रश्न पत्र बनाने के दौरान प्रयोग में लाये गये नोट्स एवं हस्तलिपियों को नष्ट करने का प्रमाण पत्र देना होगा। सेट किये गये प्रश्न पत्रों का कॉपीराइट विश्वविद्यालय में निहित होगा।

(ञ) पेपर सेटर द्वारा निर्धारित समय पर पेपर सेट न करने की दशा में वह स्वतः ही पेपर सेटर के कार्य से वंचित हो जायेगा।

(ट) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त परीक्षक पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे।

(ठ) परीक्षकों को परीक्षक के रूप में अपनी नियुक्ति, दिये गये अंकों एवं विश्वविद्यालय परीक्षाओं से सम्बन्धित अन्य कार्यों को गोपनीय रखना होगा।

(ड) सभी परीक्षकों एवं पेपर सेंटरों को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि उसका कोई भी निजी संबंधी जैसे पति/पत्नी/रक्त संबंधी/ पति–पत्नी के संबंधी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं।

(ढ) परीक्षा प्रकोष्ठ पेपर सेटर, अनुसीमकों (माडरेटर), परीक्षकों एवं अन्य व्यक्ति जो परीक्षा कार्य से सम्बन्धित हो, के दुराचार का रिकॉर्ड रखेगा।

(ण) सभी शिकायतों एवं अनुचित साधनों के प्रयोग सम्बन्धी घटनाओं को इस सम्बन्ध में बनाये गये उपबन्धों के अनुसार निपटाया जायेगा।

विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से लिया जाने वाला शुल्क; (धारा 30 (च))

7. (1) प्रत्येक पंजीकृत छात्र को प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क अदा करना होगा।

(2) किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति द्वारा निर्धारित अधिकतम शिक्षण शुल्क ही देय होगा जो कि आगामी 3 शैक्षिक सत्रों तक मान्य होगा।

(3) सभी पंजीकृत छात्रों से विश्वविद्यालय के सम्बद्ध कॉलेज/विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तक या उसके पूर्व वार्षिक/अर्द्धवार्षिक शिक्षण शुल्क लिया जायेगा।

(4) प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति द्वारा निर्धारित नामांकन/परीक्षा/हॉस्टल/उपाधि शुल्क छात्रों द्वारा अतिरिक्त रूप से देय होगें।

(5) अकादमिक सम्मान शुल्क प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

(6) शुल्क वापसी का कोई भी मामला विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल को भेजा जायेगा, जो राष्ट्रीय एवं राज्य की नीति एवं नियामक संस्था के दिशा–निर्देशों के अधीन निर्णय लेगा।

विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क; (धारा 30 (छ))

8. विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं, उपाधियों हेतु शुल्क प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति के अनुमोदन से तय किये जाएगें।

विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में छात्रों के निवास की शर्तें; (धारा 30 (ज))

9. (1) विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध कॉलेज पंजीकृत छात्रों के लिये हॉस्टल/आवासीय परिसर की सुविधा प्रदान कर सकेंगे।

(2) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक कॉलेज/संस्थान, हॉस्टल/आवासीय परिसर में दी जाने वाली सुविधाओं की देख–रेख व रख–रखाव के निरीक्षण की व्यवस्था करेगा।

(3) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक कॉलेज/संस्थान हॉस्टल/आवासीय परिसर में छात्रों को अनुशासित ढंग से रहने हेतु देख भाल की व्यवस्था करेंगे।

(4) आवासीय परिसर में रहने वाले छात्रों को छात्रावास के नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करना होगा।

(5) सम्बद्ध कॉलेज के प्रत्येक प्राचार्य निम्न से सम्बन्धित अभिलेख रखेंगे:

(एक) हॉस्टल एवॅ वार्डनों की संख्या।
(दो) हॉस्टल में अनुमोदित व्यवस्था एवं प्रत्येक हॉस्टल में छात्रों की संख्या।
(तीन) हॉस्टल से बाहर अपने माता–पिता के साथ रह रहे छात्रों की संख्या।
(चार) हॉस्टल से बाहर अपने अभिभावकों के साथ रह रहे छात्रों की संख्या।
(पाँच) हॉस्टल से बाहर स्वतंत्र रूप से रह रहे छात्रों की संख्या।
विश्वविद्यालय द्वारा माँगी जाने पर सभी सूचनायें महाविद्यालय/संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) हॉस्टल में रहने वाले सभी छात्र हॉस्टल की मेस में ही भोजन करेंगे।

(7) प्रत्येक सम्बद्ध कॉलेज हॉस्टल में रहने वाले प्रत्येक छात्र का सामयिक स्वास्थ्य परीक्षण कर यह भी सुनिश्चित करेंगे कि छात्रों में किसी भी प्रकार का संक्रमण रोग तो नहीं है। इस प्रकार के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था या तो विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध अस्पताल या विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अन्य अस्पताल में की जा सकेंगी।

आज्ञा से,

डा0 रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

SHRI GURU RAM RAI UNIVERSITY
Rules 2018
Index

Rules	Contents
1	Short title and commencement.
2	Definitions.
3	Admission of students to the University and their enrolment and continuance as such; (Section 30(a))
4	Laying down the courses of study for all degrees and other academic distinctions of the university (Section 30(b))
5	The conditions for the award of fellowship, scholarships, studentships, medals and prizes (Section 30 (d))
6	The conduct of examinations and the conditions and mode of appointment and duties of examining bodies, examiners, invigilators, tabulators and moderators, (Section 30(e))
7	Fee chargeable from students for various courses (Section 30(f))
8	The fee to bc charged for admission to the examination, degrees and other academic distinctions of thc University(Section 30(g))
9	The conditions of residence of the students at the University or a Constituent college;(Section 30(h))

No.314/XXIV(3)/2018-13(15)2018

NOTIFICATION

June 06, 2018

In exercise of the Powers conferred by section 30 read with section 31 of the Shri Guru Ram University Act 2016 (Uttarakhand Act No 3 of 2017), the Governor is pleased to approve the following Rules -

SHRI GURU RAM RAI UNIVERSITY RULES, 2018

Short title and Commencement

1 (1) These Rules may be called Shri Guru Ram Rai University Rules, 2018

(2) It shall come into force at once.

(3) After the first Rules have come into force, the proposals for subsequent amendments, additions or repealing of the existing rules shall be put up by the Board of Governors before the State Government of Uttarakhand for its approval. Such proposal shall come into force only after such approval.

Definitions

2 (1) In these Rules, unless there is anything repugnant to the subject or the context -

(a) 'Act' means Shri Guru Ram Rai University Act 2016;

(b) 'Section' means a section of the Act;

(c) 'Statutes' means Statutes of the University as framed under the provisions of the Act;

(d) 'Registration Number' means a number allotted to students by the Constituent College admitted to a program/course.

(e) 'Enrolment' means enrolment of the students to the University;

(f) 'Enrolment Number' means a number allotted by the University for Identification of students enrolled in the University;

(g) 'Examination Centre' means a college or a department where the University examinations are conducted.

(h) 'Centre Superintendent' means a person appointed by the University to conduct the examinations at the examination centre;

(i) 'Examinee' means a student who fulfills all the eligibility criteria for appearing in the University examination;

(j) 'Examination Hall' means a room/hall in the examination centre where the University examination is being conducted; and

(k) 'Examination Cell' means a department constituted by the University to deal with all issues related to conduct of University examination.

(l) "Admission and Fee Regulatory Committee" means the committee constituted under sub-clause (1) of section 4 of Uttarakhand Unaided Private Professional Education Institutions (Regulation of Admission and fixation of fee) Act. 2006 (As Amended).

(m) "Regulatory authority" means University Grants Commission (UGC), Nursing Council of India (NCI), All India Council of Technical Education (AICTE), Medical Council of India (MCI), Bar Council of India (BCI), Pharmacy Council of India (PCI), Dental Council of India (DCI), Central Council of Indian Medicine (CCIM), National Council for Teacher Education (NCTE) etc whichever may be applicable.

(2) Words denoting the singular number shall include the plural & Word & denoting the plural number shall include the Singular number.

(3) The pronoun "he" and its derivatives are used of any person whether the person is of any gender.

(4) Words and expressions used in these Rules but not defined shall have the same meaning respectively as assigned to them in the Act/Statutes.

Admission of students to the University and their enrolment and continuance as such; (Section 30(a))

3 (1) Subject to the rules, regulations prescribed by the Regulatory Authority and the Central and the State policy in this regard, the students shall be admitted to the University in accordance with the provisions of the Act and Statutes

(2) Every student shall be allotted a registration number as per the course of studies for which he has been admitted. This registration number shall change if the student withdraws from a course and joins another course offered by the University. Such a registration number shall also act as roll number of a student. No fees shall be charged by the University for allotment of this number.

(3) A student registered for a course of study shall continue to remain registered for such a course till he passes out the course from University or he withdraws from the course or as specified by the ordinance made in this regard.

(4) Every student registered to the University shall be allotted an enrolment number after paying the enrolment fee as prescribed by the Admissions and fee Regulatory Committee

(5) If the student has passed his previous qualification from other University he shall submit the Original Migration Certificate from that University.

(6) Student already enrolled with the University need not reapply for enrolment provided that he has not migrated to another University.

(7) A student enrolled with the University shall continue to remain the student of the University till he obtains migration certificate from the University.

Laying down the courses of study for all degrees and other academic distinctions of the University (Section 30(b))	4	(1) The programme structure, syllabi, study and evaluation scheme shall be made in according with guidelines of the regulatory authority by the Board of Studies constituted for that course. (2) The recommendation of the Board of studies shall be discussed by the faculty concerned. The Faculty concerned shall send its recommendation to the Academic Council of the University. (3) The course of studies and evaluation scheme for all programmes and other academic distinctions of the University shall be as approved by the Academic Council. (4) Before commencing a course not included in the list of recognized courses issued by the regulatory body the prior approved of the regulatory body shall be obtained..
The conditions for the award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes (Section 30 (d))	5	The condition and eligibility for award of Fellowship, Scholarship, Medals and Prizes instituted by the Board of Management shall be as per the Ordinance made in this regard.
The conduct of examinations and the conditions and mode of appointment and duties of examining bodies, examiners, invigilators, tabulators and moderators. Section (30(e))	6	**(1) Conduct of Examinations** (a) The University examinations shall be held at the designated examination centers of the University. (b) The essential facilities for each examination committee shall be as specified by the examination committee and academic council of the university. (c) The conduction of University examinations for all the courses shall be in accordance with the guidelines framed from time to time by the respective Statutory Councils and the Ordinances/related provisions made in this regard. (d) The scheme of University Examinations shall be as per the Ordinance made in this regard. (e) The University shall prepare and publish a schedule of examinations for each course conducted by it at least 30 days before the scheduled date of examinations. (f) The Vice Chancellor shall appoint a Centre Superintendent and a Deputy Superintendent who will be responsible for conduct of University examination.

(g) The Examination Committee and the Centre Superintendent shall be responsible for the smooth conduct of the University examinations at his centre. All expenses incurred in connection with the conduct of the examination at a centre shall be borne by the University as per rules.

(h) The Centre Superintendent shall be responsible for preparation and implementation of Seating Plan and assign Invigilation Duties to the Invigilators during conduct of Examination.

(i) The Centre Superintendent shall submit the details of the expenses incurred in a prescribed format as soon as the examinations are over at that center and in no case beyond one month from the date of last paper at that centre.

(j) The Centre Superintendent shall ensure that no person other than the examinees, invigilators, flying squad and other persons as may be authorized by him or hy the University, shall be allowed to enter the Examination Hall.

(k) Examinees at all examinations shall strictly abide by the instructions that may be issued to them from time to time.

(l) The Examination Cell shall supply sufficient number of copies of question papers (in sealed packets) and answer booklets required at each centre to the Centre Superintendent in reasonable time.

(m) The Centre Superintendent shall return the unused question papers & answer booklets to the Examination Cell within the time as prescribed by the Examination Cell.

(n) The Principal of the Constituent College and Head of the Department where the practical examinations are to be held, shall make all necessary arrangements for smooth conduct of the practical examinations.

(o) Examinee shall report to the examination hall at least 15 (fifteen) minutes prior to the commencement of the examination and shall not be allowed to enter the examination hall 30 minutes after commencement of examination. The examinee shall not be allowed to leave the examination hall before half time of the duration of the examination.

(p) Flying Squad:

(i) To ensure conduct of University Examinations as per norms, a Flying Squad of not less than 03 (three) members of whom 01 (one) shall be lady member, shall be constituted.

(ii) The Flying Squad shall be authorized to visit any Examination Hall and enter in the office of the Centre Superintendent without prior intimation to check the record and other material relating to conduct of University examination. For ascertaining the authenticity of the examinee by checking the identity, the Flying Squad may enter the Examination Hall. The Flying Squad shall be authorized to detect use of malpractices and unfair means in the University Examination, by physical check, if necessary. In case of female candidates, the physical check shall be made by the lady member of squad.

(iii) The Centre Superintendent shall extend all co-operation to the Flying Squad.

(q) The Centre. Superintendent shall submit the answer booklets to the Examination Cell of the University immediately after the examination every day.

(r) After receiving the answer booklets on or before the last day of Examination schedule, the Examination Cell shall carry centralized evaluation.

(t) The results of the examination shall be tabulated and prepared in Award Sheet by the tabulator/evaluator.

(u) The result prepared by the evaluator/tabulator shall be compared, verified and approved by Examination Committee. The Approved Award Sheet along with the Soft copy of the same should be submitted to Exam Cell for result processing.

(v) The results of the examinations shall **ordinarily** be declared within **30 days** from the last day of the examination and the University shall forward the results to the constituent college or department of the University for onward intimation to the students.

(2) Conditions and mode of appointment, duties of examining bodies, examiners, invigilators and moderators:

(a) The qualification and experience for paper setter, moderator, evaluator and examiner shall be as per the guidelines of the Statutory Council or as per the Ordinance made in this regard.

(b) The Paper Setter, Moderator, Internal and External Examiners shall be appointed from a panel of examiners. In case of unavailability of Paper Setter and Examiner so appointed, another Paper Setter and Examiner shall be appointed from the panel.

(c) The Examination Cell of the University shall maintain a panel of Paper Setter, Internal and External Examiners for each course.

(d) Any employee of University appointed as Paper Setter, Moderator and Examiner or for any other work related to examination shall not claim it as a matter of right .

(e) In normal circumstances appointment of an employee as a Paper Setter, moderator, examiner, invigilator and other works related to examination shall be binding on him/her. He/She shall also ensure that the unavailability for assignment is communicated to the Examination Cell well in advance to enable the Examination Cell to make alternative arrangements.

(f) The Paper Setter, Moderator and Examiner shall follow all the instructions given by the University from time to time in respect of pattern of question papers, setting up of question papers, model answers, scheme of marking etc.

(g) With appropriate instructions, guidelines relating to the examination the examination cell shall send intimation regarding appointment of Paper Setter, Moderator and Examiner.

(h) The question papers sha . be set in English.

(i) Each Paper Setter shall set and submit to the Examination Cell within the prescribed period, the required number of copies/sets of question papers that he sets, in a sealed cover, enclosed in another sealed cover. He shall also furnish a certificate to the effect that he has destroyed all the notes and manuscripts in connection with the question paper(s) he has set. Copyright of any question paper set by an examiner shall vest with the University.

(j) Paper-setters, who do not set and submit the question paper to the Examination Cell, within the prescribed time limit shall cease to be Paper Setter.

(k) The Examiners appointed by the University shall be eligible for reappointment.

(l) The examiners shall be required to maintain confidentiality regarding their appointment as examiner and shall also maintain confidentiality regarding marks/grades awarded by them and any other work related to conduct of University Examination.

(m) All examiners and paper setters shall furnish certificate to the fact that no relations of his is appearing in the examination. Relations include husband, wife, blood relation or in laws.

(n) A record of misconduct, if any, committed by the Paper Setter, Moderator, Examiner, Tabulator/Evaluator and any other person with University examination shall be maintained by the Examination Cell.

(o) All complaints and incidents regarding the use of unfair means shall be dealt as per the related Provisions made in this regard.

Fee chargeable from students for various courses (Section 30(f))

7 (1) Every student registered for a course shall be charged with a fee as fixed by the Admission and Fee Regulatory Committee.

(2) The tuition fee recommended by the Admission and Fee Regulatory Committee shall be the maximum chargeable tuition fee for that course and shall be valid for a period of 03 (three) academic sessions.

(3) Tuition Fees from registered students shall be charged annually/half yearly on or before a date prescribed by the constituent college/department of the University.

(4) The Fee fixed by the Fee and Admission Regulatory Committee for Enrolment, Examinations, Hostel and Degrees chargeable from registered students shall be charged additionally.

(5) The fee for other academic distinctions shall be as determined by the board of management.

(6) Any matter related to refund of fees shall be referred to the Board of Management who shall decide the matter as per the National and State policy & the guidelines of the regulatory authority.

The fee to be charged for admission to the examinations, degrees and other academic distinctions of the University: (Section 30(g))

8 The fee to be charged for various University examinations, degree shall be determined after taking prior approval of Admission and Fee Regulatory Committee.

The conditions of residence of the students at the University or a Constituent College; (Section 30(h))

9 (1) The University or its constituent college may provide hostel/residential accommodation to the students admitted in it.

(2) Each Constituent College/Institute affiliated by the University shall make arrangements for supervision, maintenance and inspection of facilities provided in the hostel/residential accommodation.

(3) Each Constituent College/Institute of the University shall make arrangements for supervision of the students in order to maintain the discipline of the hostel/residential accommodation.

(4) The resident students shall conform to the Rules and terms & conditions made for residing in the hostel.

(5) Every Principal of the Constituent College shall maintain records of the following namely:-

(i) Number of hostels and the number of the Wardens;

(ii) Number of resident students in each hostel and approved lodging.

(iii) Number of non-resident students living with their parents;

(iv) Number of non-resident students living with their guardians; and

(v) Number of non-resident students living independently.

The College/Institute shall provide this information whenever asked for by the University.

(6) Resident students in the hostel shall take their food in the mess provided in the hostel.

(7) Every Constituent College shall ensure periodic health checkups of each student residing in a hostel managed by the college or in an approved residential accommodation and ensure that no such student has any contagious disease. The health checkups should be arranged either in the hospital attached to the medical college of the University, or at any other hospital, approved by the University.

By Order,

Dr. RANBIR SINGH,
Additional Chief Secretary.

औद्योगिक विकास अनुभाग–2

अधिसूचना

30 मई, 2018 ई0

संख्या 369/VII-I/2018/126(उद्योग)/2004–Uttar Pradesh Public Money (Recovery of Dues) Act, 1972 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 (सिडकुल) को उक्त अधिनियम की धारा 2(a) के प्रावधानों के अन्तर्गत अपने बकाया दावों की भू–राजस्व के रूप में वसूली हेतु एक निगम (Corporation) के रूप में इस आदेश के द्वारा अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह अधिसूचना सिडकुल के गठन की तिथि 18–07–2002 से प्रभावी मानी जायेगी एवं उस समय तक प्रभावी रहेगी जब तक इस निगम पर राज्य सरकार का स्वामित्व अथवा प्रभावी नियंत्रण रहेगा।

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

NOTIFICATION

May 30, 2018

Letter No. 369/VII-I/2018/126(Udhyog)/2004-- In exercise of power given under Uttar Pradesh Public Money (Recovery of Dues) Act, 1972 State Government hereby grant approval for notifying **"State Infrastructure and Industrial Development Corporation of Uttarakhand Ltd"** (SIIDCUL) as a "Corporation" under section **2** (a) of the Uttar Pradesh Public Money (Recovery of Dues) Act, 1972 for the purpose of collecting all its outstanding dues as arrears of land revenue.

2. This notification shall be effective with effect from the in-corporation of the SIIDCUL i.e. dt. 18-07-2002 and shall remain valid till State Government owns or effectively control the this corporation.

RADHA RATURI,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 28 हिन्दी गजट/396–भाग 1–2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 14 जुलाई, 2018 ई0 (आषाढ़ 23, 1940 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

18 जून, 2018 ई0

सं0 UERC/F(9)-II/RG/UERC/2018/421--विद्युत अधिनियम, 2003 (36 का 2003) की धारा 39, 40, 42 और 86 के साथ पठित धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सक्षमधारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा, उविनिआ (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2015 (प्रधान विनियम) में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा :–

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निर्णय

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन एवं शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2018 होगा।

(2) ये विनियम दिनांक 01.04.2018 से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रधान विनियम के विनियम 22 में संशोधनोपरान्त निम्नवत् पढ़ा जाएगा :

22. प्रति–सहायिकी अधिभार

(1) यदि किसी उपभोक्ता द्वारा उन्मुक्त अभिगमन सुविधा का लाभ उठाया जाता है, तो ऐसे उपभोक्ता, पारेषण और/या व्हीलिंग प्रभारों के अलावा, आयोग द्वारा निर्धारित प्रति–सहायिकी अधिभार का भुगतान किया जायेगा। प्रति यूनिट आधार पर अवधारित प्रति–सहायिकी अधिभार, उन्मुक्त अभिगमन द्वारा माह के दौरान निकासी की गई वास्तविक ऊर्जा के आधार पर ऐसे उपभोक्ता द्वारा प्रति माह देय होगा। अधिभार की राशि का भुगतान वितरण अनुज्ञापी को दिया जायेगा।

(2) जो उपभोक्ता अनुज्ञापी के पारेषण और/या वितरण प्रणाली में शामिल हुए बिना भी, समर्पित लाईनों के माध्यम से उन्मुक्त अभिगमन का लाभ उठा रहे हैं, वे इस विनियम के तहत निर्धारित अधिभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(3) अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली पर विशेष रूप से उन्मुक्त अभिगमन का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी इस विनियम के तहत निर्धारित अधिभार का भुगतान करना होगा।

परन्तु वितरण अनुज्ञापी द्वारा की गई पावर–कट की अवधि में, उन्मुक्त अभिगमन द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा निकासी की गई ऊर्जा पर कोई प्रति–सहायिकी अधिभार नहीं लगाया जाएगा।

आगे यह भी कि यह अधिभार किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं लगाया जायेगा जिसने अपने स्वयं के उपयोग के गंतव्य तक विद्युत ले जाने के लिए कैप्टिव उत्पादन संयंत्र स्थापित किया हो।

परन्तु यह भी कि यदि उन्मुक्त अभिगमन चाहने वाले ऐसे उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति की स्थिति या भार में कोई अधिक परिवर्तन आता है तो आयोग जैसे और जब आवश्यक हो प्रति–सहायिकी अधिभार की समीक्षा कर सकता है।

(4) ऐसे उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं के लिए प्रति–सहायिकी अधिभार निम्नलिखित के अनुसार अवधारित किये जायेंगे :

अधिभार फॉर्मूला : एस = टी – सी

जहाँ,

एस – प्रति–सहायिकी अधिभार है;

टी – ऐसे उपभोक्ताओं की सुसंगत श्रेणी द्वारा देय खुदरा शुल्क है;

सी – वितरण अनुज्ञापी की आपूर्ति की औसत लागत है।

आयोग के आदेश से

नीरज सती,

सचिव।

कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

22 जून, 2018

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0), राज्य कर,

देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 1642/रा0कर आयु0 उत्तरा0/रा0क0मु0/विधि–अनुभाग/18–19/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 523/2018/13(120)/XXVII(8)/2017/CTR-11 दिनांक 18 जून, 2018 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या 982 दिनांक 23 नवम्बर, 2017 में संशोधन किया जाना अधिसूचित किया गया है।

उक्त अधिसूचना की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

18 जून, 2018 ई0

संख्या 523/2018/13(120)/XXVII(8)/2017/CTR-11–चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है ;

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर अधिसूचना सं0 515/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, दिनांक 29 जून, 2017 यथा संशोधित अधिसूचना सं0 982/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, दिनांक 23 नवम्बर, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, यथा :–

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 6 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा :–

सारणी

क्र0सं0	टैरिफ मद उप–शीर्ष शीर्ष या अध्याय	माल का विवरण	माल का आपूर्तिकर्ता	माल का प्राप्तकर्ता
1	2	3	4	5
7.	कोई भी अध्याय	प्रायर्टी सेक्टर लेडिंग सर्टीफिकेट	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति

2. यह अधिसूचना दिनांक 28 मई, 2018 से प्रभावी होगी।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the **Notification No. 523/2018/13(120)/XXVII(8)/2017/CTR-11,** Dehradun, dated June 18, 2018 for general information:

NOTIFICATION

June 18, 2018

No. 523/2018/13(120)/XXVII(8)/2017/CTR-11--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to make the following further amendments in the notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8, No. 515/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 29th June, 2017 amended *vide* notification No. 982/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, dated 23 November, 2017; namely :-

In the said notification, after S. No. 6 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:--

TABLE

S. No.	Tariff item sub-heading, heading or Chapter	Description of Goods	Supplier of goods	Recipient of supply
1	2	3	4	5
7,	Any Chapter	Priority Sector Lending Certificate	Any registered person	Any registered person

2. This notification shall come into force with effect from the 28th day of May, 2018

By Order,

AMIT SINGH NEGI.

Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 28 हिन्दी गजट/396–भाग 1–क–2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 14 जुलाई, 2018 ई0 (आषाढ़ 23, 1940 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगरपालिका परिषद्, बागेश्वर, जिला बागेश्वर

सार्वजनिक सूचना

28 मार्च, 2018 ई0

पत्रांक 1703/यूजर चार्ज/2017–18–नगरपालिका परिषद्, द्वारा अपने पूर्व पत्रांक 108/यूजर चारर्ज/2017–18, दिनांक 28.10.2017 द्वारा नगरपालिका, बागेश्वर सीमान्तर्गत नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298, सूची–2 के खण्ड (झ) के (घ) अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा–273 एवं 274 के अन्तर्गत, नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन एवं निस्तारण हेतु एवं नगर ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली, 2000 के सुचारू क्रियान्वयन हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली, 2000 के सुचारू क्रियान्वयन हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) व यूजर चार्ज उपविधि, 2017 बनाई गई थी, जिस क्रम में नगरपालिका अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्ति सार्वजनिक सूचना का प्रचार–प्रसार दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में भी करवाते हुए उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, बागेश्वर को लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ प्रेषित करने बावत सूचित किया गया था।

उक्त सम्बन्ध में प्राप्त सुझाव एवं आपत्तियों का निस्तारण दिनांक 07.11.2017 को करने के उपरान्त नगरपालिका परिषद्, बागेश्वर की पालिका बोर्ड बैठक दिनांक 30.12.2917 के प्रस्ताव 3(2) द्वारा सर्वसम्मति से पारित करते हुए यूजर चार्ज लागू किए जाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था, अतः सम्बन्धित यूजर चार्ज उपविधि, 2017 इस निकाय में गजट नोटिफिकेशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेंगी।

नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) यूजर चार्ज उपविधि–2017

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भः–

1. यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, बागेश्वर, जिला बागेश्वर नगर की "नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) व यूजर चार्ज उपविधि, 2017" कहलायेगी।
2. यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, बागेश्वर, जिला बागेश्वर के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी होगी।
3. यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

2 परिभाषाएँ :

संदर्भ के अन्यथा प्रतिकूल न होने पर–

1. "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।
2. "नगरीय ठोस अपशिष्ट" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय एवं चिकित्सकीय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित को सम्मिलित करते हुए, ठोस या अर्द्ध ठोस के रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता हैं।
3. "उपविधि" से तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम, 1916 के उपबन्धों के अधीन बनाई गई उपविधि से है।
4. "नगरपालिका" से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, बागेश्वर से है।
5. "अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, बागेश्वर से है।
6. "सफाई निरीक्षक" से तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्, बागेश्वर में शासन से तैनात सफाई निरीक्षक से है, ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में नगरपालिका के उस अधिकारी/कर्मचारी से हैं, जो उस पद के कार्यभार के लिए शासन, या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो।
7. "निरीक्षण अधिकारी" का तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी के अधीन कार्यरत नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से हैं, जिन्हें समय–समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेशानुसार निरीक्षण के लिए अधिकृत किया गया हो।
8. "जीव नाशित/जैव निम्नकरणीय/जैविक अपशिष्ट (Biodegradable waste)" से अभिप्रेत, ऐसे अपशिष्ट पदार्थों से है, सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है, जैसे बचा हुआ खाना, सब्जी एवं फलों के छिलके, फूलों–पौधों आदि के पत्ते एवं अन्य जैविक अपशिष्ट।
9. "जीव अनाशित अपशिष्ट (Non-biodegradable waste)" का तात्पर्य, ऐसे कूड़े या कचरा सामग्री से हैं, जो जीव नाशित कूड़ा–कचरा नहीं हैं और इसके अन्तर्गत प्लास्टिक भी है।
10. "मिश्रित कूड़े" से तात्पर्य, जीव अनाशित अपशिष्ट एवं जीव नाशित कूडे के मिश्रण से है।
11. "पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट (Recyclable waste)" से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट से है, जो दोबारा किसी भी प्रकार सीधे अथवा विधि से परिवर्तित करके, उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है। जैसे प्लॉस्टिक, पॉलीथीन, निर्धारित माइक्रोन के अन्दर, कागज, धातु, रबड़ आदि।
12. "संग्रहण (Collection)" से अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल, संग्रहण बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है।
13. "कचरा खाद बनाने (Composting)" का तात्पर्य, किसी ऐसे नियन्त्रित प्रक्रिया से है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जैवीय निम्नकरण अन्तर्वलित है।
14. "ढुलान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट " से तात्पर्य, निर्माण एवं पुनः निर्माण सम्बन्धी ऐसी समस्त सामग्री से, जो साधारणतया निर्माण में प्रयोग की जाती हो।
15. "व्ययन (Disposal)" से भूजल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणवत्ता को प्रदूषण से बचाने हेतु आवश्यक सामग्री से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन, अभिप्रेत है।
16. "भूमिभ्रण (Landfilling)" भूतल सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू आदि खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव/कृत्तक, ग्रीन हाउस गैस उत्पादन, ढाल स्तरर्जिता और कटाव के लिए सुरक्षात्मक उपकरणों के साथ डिजाइन की गई सुविधा में, अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट का भूमि भरण, अभिप्रेत है।
17. "जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (Biomedical waste)" से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट से है, जिसका जनन मानवों व पशुओं के रोग निदान, उपचार, प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उससे सम्बन्धित किसी अनुसंधान, क्रियाकलापों या जैविक के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ हो।

18. प्रयोग किए गए अन्य शब्दों, जो कि इस उपविधि में परिभाषित नहीं है, का अर्थ वही होगा जो अधिनियम में है।

19. "निक्षालितक (Leachate)" से वह द्रव अभिप्रेत है, जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से धुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्ष किया है।

20. "नगरपालिका प्राधिकारी (Municipal Authority)" से तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्, बागेश्वर द्वारा सुसंगत कानूनों के अनतर्गत नियुक्त या गठित कोई व्यक्ति, समिति या अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जिसे नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन हेतु अधिकृत किया जाता है।

21. "स्थानीय प्राधिकारी (Local Authority)" का अभिप्रेत, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगर निगम, नगरपालिका पंचायत्, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत है।

22. "नगरीय ठोस अपशिष्ट (Municipal Solid Waste)" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय (Hazaradous) अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए, ठोस या अर्द्ध ठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता हैं।

23. "सुविधा के परिचालक (Operator of Facility)" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण आता है, जो अपने–अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन एवं हथालन के लिए नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया है। "प्रसंस्करण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामाग्रियों को नये पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है।

24. "भण्डारण (Storage)" से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बाबन्द किया जाना अभिप्रेत है, जिससे कूड़ा–करकट, रोग वाहकों के आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्याधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके।

25. "परिवहन (Transportation)" से विशेष रूप से डिजाईन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा–करकट बिखरने, रोग वाहकों की पहुँच से रोका जा सके।

26. "पृथक्करण (Segregation)" से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनःचक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों से अलग–अलग करना अभिप्रेत है।

1. कोई भी व्यक्ति/स्थापन (Establishment) नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, सड़क, फुटपाथ, किसी भी खुले स्थान पर जो नगरपालिका द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया है, न डालेगा और न डलवायेगा।

2. नगरीय ठासे अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन, अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूड़ेदान रखेगा, जिसमें से एक जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरे में पुनः चक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा।

3. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा उक्त बिन्दु 2 के अनुसार संग्रहित जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनः चक्रणीय अपशिष्ट सप्ताह में एक दिन नगरपालिका परिषद् के द्वारा निर्धारित समय, प्रक्रिया के अनुसार नगरपालिका के कर्मचारी/सुविधा प्रचालक (Operator of a Facility) को देना होगा (किन्तु जीव नाशित कूड़ा, जीव अनाशित थैले में रखकर नहीं डाला जायेगा), जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित दरें जो समय–समय पर संशोधित करी जा सकेगी के अनुसार उत्पादक व्यक्ति/स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क (User Charges) लिए जायेंगे।

27. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिए नगरपालिका से सम्पर्क कर नगर पंचायत द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User Charges) भुगतान करना होगा।

28. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा जहाँ तक सम्भव हो बागवानी व सभी पेड़–पौधों के कूड़े परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहाँ ऐसा करना सम्भव ना हो तो नगरपालिका से सम्पर्क कर नगरपालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User Charges) भुगतान करना होगा। किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा।

29. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा परिसंकटमय (Hazaradous) अपशिष्टों को अलग से जमा रखना होगा और पन्द्रह दिन में एक बार द्वार–द्वार (Door to Door) संग्रहण हेतु कर्मचारी/सुविधा प्रचालक को देना होगा।

30. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबन्धन जीव–चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम के अनुसार करेगा, बिना उपचारित जैव–चिकित्सा अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा।

31. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन, पृथक्करण, संग्रहण, भण्डारण, परिवहन तथा व्ययन से सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण का अधिकारी अधिशासी अधिकारी/सेनेटरी इन्सपेक्टर अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा नामित किसी अन्य अधिकारी को होगा।

32. निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर गए नगरीय ठोस अपशिष्ट को यदि तत्काल उठाये जाने की आवश्यकता समझी जाती है और वह अपशिष्ट मासिक यूजर चार्जेज के अन्तर्गत नहीं है, को अपशिष्ट उतपादक के द्वारा अथवा नगरपालिका/सुविधा प्रचालक तत्काल उठवाया जा सकेगा। और उसके लिए स्थल पर ही यूजर चार्जेज वसूल किया जा सकेगा। जिसकी रसीद अपशिष्ट उत्पादक को दी जायेगी, वह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में नगरपालिका/सुविधा प्रचालक के खाते में जमा की जाएगी।

33. अनुसूची में दी गई दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसकी गणना ₹ 5.00 (पाँच) के पूर्णांक की होगी।

34. उपविधि में लगाये जाने वाले यूजर चार्जेज/सेवा शुल्क में छूट का प्राविधान नहीं होगा।

35. सार्वजनिक स्थानों पर उतारी गई समस्त निर्माण सामग्री कोउतारने के 24 घण्टे के अन्दर हटाया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में उक्त सामग्री जब्त कर नीलाम की जा सकती है व सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था पर अर्थदण्ड (penalty) भी आरोपित किया जायेगा, जो कि ₹ 2,000.00 (रु0 दो हजार मात्र) तक हो सकता है।

36. नगरपालिका परिषद्, बागेश्वर द्वारा अपशिष्ट संग्रहण हेतु दरें निम्नानुसार हैः–

क्र0 सं0	अपशिष्ट एवं अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (यूजर चार्जेज) की राशि ₹ में
1	2	3
1.	घरों से प्रति परिवार	20.00
2.	व्यापार (दुकानें–किराना, जन0 स्टोर, कपड़ा, जूता, कॉपी–किताब आदि)	30.00
3.	सब्जी एवं फल विक्रेता	100.00
4.	फुटपाथ पर छोटे व्यवसाय	10.00
5.	लोहा, सीमेन्ट विक्रेता	100.00
6.	आटा चक्की	100.00
7.	होटर/लॉजिंग/गेस्ट हाउस	200.00
8.	रेस्टोरेन्ट	150.00
9.	स्कूल/कॉलेज/शिक्षण संस्थान/प्रशिक्षण संस्थान	100.00
10.	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम/पैथोलॉजी/क्लीनिक	300.00
11.	मेडिकल स्टोर	100.00
12.	वर्कशॉप/कबाड़ी	200.00
13.	गन्ने का रस/जूस विक्रेता	50.00
14.	बेकरी	50.00
15.	समस्त कार्यालय	100.00
16.	गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले घर/परिवार	10.00
17.	धर्मशाला	50.00
18.	पान की दुकान	10.00
19.	मिष्ठान की दुकान	25.00
20.	शराब की दुकान (देशी/विदेशी)	200.00
21.	बियर बार	200.00
22.	इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रिकल्स की दुकान	30.00
23.	टेण्ट हाउस	100.00

1	2	3
24.	बैंकट हॉल	200.00
25.	प्रिन्टिंग प्रेस	100.00
26.	फर्नीचर की दुकान	50.00
27.	पेट्रोल पम्प	100.00
28.	ट्रान्सपोर्ट	50.00
29.	फैब्रिकेशन	50.00
30.	बारबर	50.00
31.	टेलर	50.00
32.	मीट/मछली/मुर्गा	50.00
33.	आरा मशीन	50.00
34.	अन्य	10.00

उपरोक्त विवरण के अलावा धार्मिक कार्य जैसे–भण्डारा, जागरण, शोभा यात्रा/जलूस आदि पर उक्त दरें लागू नहीं होंगी परन्तु उक्त आयोजनों में सम्बन्धित स्थलों की स्वच्छता का दायित्व आयोजक का होगा।

शास्ति

उपरोक्त उपविधि के अन्तर्गत किसी भाग का उल्लंघन करने पर नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथावत्) की धारा 299 (1) एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2000 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जो सेवा शुल्क की निर्धारित दरों का 10(दस) गुना तक अधिकतम् हो सकता है और जब ऐसा भंग निरन्तर किया जाय तो अग्रेत्तर जुर्माना किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना होगा, प्रत्येक दिन ₹ 100.00 (रु0 एक सौ मात्र) तक हो सकेगा। यह अधिकार अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, बागेश्वर, जिला बागेश्वर में निहित होगा।

राजदेव जायसी,
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्, बागेश्वर।

श्रीमती गीता रावल,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, बागेश्वर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 28 हिन्दी गजट/396–भाग 8 2018 (कम्प्यूटर/सीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।